

प्रेषक

अजय अग्रवाल
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सदस्य सचिव
वेतन समिति
वित्त विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

वित्त (वेतनआयोग) अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 10 अप्रैल 2017

विषयक- अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्षक-2070--अन्य प्रशासनिक सेवार्यें-आयोजनेत्तर-105-विशेष जाँच आयोग-03-राज्य आयोग और समितिया-0301-वेतन समिति का गठन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पाँच माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017) तक के व्यय के लिए धनराशि का आवंटन।

महोदय

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अंतर्गत अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवार्यें-आयोजनेत्तर-105-विशेष जाँच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियाँ-0301-वेतन समिति का गठन के लिये प्रथम पाँच माह(अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक के लिए श्री राज्यपाल महोदय रू0 15000000 रूपये एक करोड़ पच्चास लाख मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय का अधिकारी प्रदान नहीं करता अतः जहाँ कहीं आवश्यक हो व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये:--

(लाख ₹0 में)

क्र० सं०	मानक मदें	स्वीकृत धनराशि
(1)	(2)	(3)
1	01-वेतन	80.31
2	03-महंगाई भत्ता	4.02
3	04-यात्रा व्यय	2.08
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.02
5	06-अन्य भत्ते	8.33
6	07-मानदेय	20.83
7	08-कार्यालय व्यय	2.92
8	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.50
9	12-कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	0.04
10	13-टेलीफोन पर व्यय	0.83
11	14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0.04
12	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.16
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	12.50
14	18-प्रकाशन	0.83
15	29-अनुरक्षण	0.83
16	42-अन्य व्यय	0.41
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.41
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.50

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेनरी का क्रय	2.08
20	49-चिकित्सा व्यय	4.16
21	51-वर्दी व्यय	0.02
22	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	--
	कुल योग	150.00

(रूपये एक करोड़ पच्चास लाख मात्र)

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-2070--अन्य प्रशासनिक सेवार्य-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितिया-0301-वेतन समिति का गठन की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

भवदीय

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-7/2017/वे0आ0-2-248(1)/दस-2017/124(सामान्य)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2-- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
- 3- लेखाकार-कम कोषाध्यक्ष कार्यालय वेतन समिति।
- 4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

मनोज कुमार जोशी

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।